



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 5, 2010/माघ 16, 1931

No. 53]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 5, 2010/MAGHA 16, 1931

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(1)

(2)

(3)

(4)

अधिसूचना

क्रशर

500

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2010

केल्सिनर भट्टी

500

ग्राइन्डर

150

सा.का.नि. 61(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

प्रतिदिन 30 टन से अधिक उत्पादन क्षमता

विविक्त पदार्थ

क्रशर/केल्सिनर भट्टी/

150

ग्राइन्डर

टिप्पण :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) (दूसरा संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में,—

(क) अनुसूची-I में, क्रम संख्या 103 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1. प्रतिदिन 30 टन तक उत्पादन क्षमता वाली इकाइयों द्वारा भू-सतह से कम से कम 10 मीटर या शैड/भवन के शिखर से 3 मीटर ऊपर, जो भी अधिक हो, ऊंचाई की स्टैक या चिमनी के द्वारा अपना उत्सर्जन उत्सर्जित किया जाए।

2. प्रतिदिन 30 टन से अधिक उत्पादन क्षमता वाली इकाइयों द्वारा भू-सतह से कम से कम 30 मीटर या शैड/भवन के शिखर से 3 मीटर ऊपर, जो भी अधिक हो, ऊंचाई की स्टैक या चिमनी के द्वारा अपना उत्सर्जन उत्सर्जित किया जाए।

ख. फ्यूजीटिव उत्सर्जन मानक (माइक्रो. ग्रा./घनमीटर)

विविक्त पदार्थ

2,000

क्र.सं.	उद्योग	पेरामीटर	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
104	प्लास्टर ऑफ पेरिस उद्योग	क. चिमनी उत्सर्जन मानक	
		प्रतिदिन 30 टन तक उत्पादन क्षमता	
		स्रोत	सान्द्रता सीमा
			मि.ग्रा./नार्मल घन
		विविक्त पदार्थ	मीटर में

(1) (2) (3) (4)

टिप्पण : फ्यूजीटिव उत्सर्जन स्रोत से 10 ±मीटर की दूरी पर प्रबोधित किया जाय।"

(ख) अनुसूची VI में, सामान्य उत्सर्जन मानक-भाग-डी, III, भार/संहति आधारित मानकों में क्रम संख्या 8 : कांच उद्योग और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाए, नामतः :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"9	प्लास्टर ऑफ पेरिस उद्योग	उत्पादन क्षमता (टन प्रतिदिन)	मात्रात्मक सीमा, किलोग्राम/टन पूर्णतः तैयार उत्पाद
		विविक्त पदार्थ	30 से कम 30 से अधिक
			4.0 1.5".1

[फा. सं. क्यू-15017/47/2008-सी.पी.डब्ल्यू.]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, में सं. का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे; और तत्पश्चात् सं. का.आ. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987; सं. का.आ. 64(अ), तारीख 18 जनवरी, 1988; और सा.का.नि. 97(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009; सा.का.नि. 149(अ), तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. 512(अ), तारीख 9 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 543(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 595(अ), तारीख 21 अगस्त, 2009; सा.का.नि. 794(अ), तारीख 4 नवम्बर, 2009; सा.का.नि. 826(अ), तारीख 16 नवम्बर, 2009 और सा.का.नि. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 2010 द्वारा उनका अभी हाल में संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2010

G.S.R. 61(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) (Second Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986,—

(a) in Schedule-I, after serial number 103 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

Sl. No.	Industry	Parameter	Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
"104	Plaster of Paris Industry	A. Stack Emission Standards Production Capacity upto 30 tonnes per day (tpd)	
		Source	Limiting concentration in mg/Nm ³
		Crusher	500
		Calciner	500
		Furnace	
		Grinder	150
		Production capacity above 30 tpd	
		Particulate matter	Crusher/Calciner Furnace/ Grinder
			150

Notes :—

1. The units having production capacity up to 30 tpd shall channelise their emission through a stack or chimney of height at least ten metres above ground level or three metres above the top of shed or building of the industry, whichever is more.

2. The units having production capacity above 30 tpd shall channelise their emission through a stack or chimney of height at least thirty metres above ground level or three metres above the top of shed or building whichever is more.

B. Fugitive Emission Standards (µg/m³)

Particulate matter 2,000

Note:—Fugitive emission shall be monitored at a distance of 10 ± 1 metres from the source, irrespective of production capacity."

(b) in Schedule VI, General Emission Standards—
Part D, III. Load/Mass based Standards, after serial number
8 relating to 'Glass Industry' and entries relating thereto,
the following serial number and entries shall be inserted,
namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
9	Plaster of Paris Industry	Production capacity (tonnes per day)	Quantum limit in/kg/tonne of finished product
		Particulate matter	less than 30 above 30 4.0 1.5".

[F. No. Q-15017/47/2008-CPW]
RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette
of India *vide* number S.O. 844(E), 19th November,
1986; and subsequently amended *vide* S.O. 433(E),
dated 18th April, 1987; S.O. 64(E), dated the
18th January, 1988 and recently amended *vide*
G.S.R. 97(E), dated the 18th February, 2009; G.S.R.
149(E), dated the 4th March, 2009; G.S.R. 512(E),
dated the 9th July, 2009; G.S.R. 543(E), dated the
22nd July, 2009; G.S.R. 595(E), dated the
21st August, 2009; G.S.R. 794(E), dated the
4th November, 2009; G.S.R. 826(E), dated the
16th November, 2009; and G.S.R. 1 (E), dated the
1st January, 2010.